आ वि प्रा

आगरा विकास प्राधिकरण

जयपुर हाउस, आगरा।

निविदा सूचना सं0–20/वि./यां./18–19 दिनांक : 25/02/19

निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण में विद्युत/यांत्रिक खण्ड में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ. क्यू. धनराशि (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा मूल्य समस्त करों सहित (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित सभागार में साउण्ड सिस्टम लगाने का कार्य।	1.69	3,400/-	560/-	01 माह	विशिष्ट श्रेणी	वि./यां.

नियम व शर्तें:–

1. उक्त कार्य की निविदा दिनांक 02.03.2019 को आमंत्रित की जाती है। यह निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 02.03.2019 को अपरान्ह् 03:00 बजे तक डाली जा सकेगी तथा उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं अथवा इनके प्रतिनिधि के समक्ष 03:30 बजे खोली जायेगी।
2. निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से दिनांक 27.02.2019 से 01.03.2019 के अपरान्ह् 03:00 बजे तक निविदा मूल्य भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
3. वांछित धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के माध्यम से, जो कि अधिशासी अभियन्ता (वि./यां.) के पक्ष में बंधक की गई हो। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा सीलबन्द कर दी जायेगी।
4. निविदा डालने से पूर्व निविदादाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आंकलन अवश्य कर लें। समस्त शंकाओं का समाधान अधिशासी अभियन्ता (वि./यां.) से कर लें। निविदा डालने के उपरान्त् निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
5. प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी निविदा डालने का अधिकार होगा।
6. विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के अन्तर्गत प्रश्नगत् कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदादाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करनी होगी।
7. निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
8. निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी.सी. 2, दिनांक 08 जून, 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
9. सभी निविदादाताओं को आयकर, श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
10. विद्युत सम्बन्धी कार्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त न्यूनतम 'क' श्रेणी लाइसेंस धारकों द्वारा उ.प्र. पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ.प्र. लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होगें।
11. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेंगी।
12. रू0 40.00 लाख से अधिक धनराशि व विशिष्ट श्रेणी के कार्यों में टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
13. जिन ठेकेदारों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकरण/पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है, वह निविदाओं में भाग लेने हेतु अनुमन्य न होगें व उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्रमशः..

Scanned by CamScanner

14. निविदादाता कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी में न तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है तथा उसका कोई निकटतम सम्बन्ध जैसे–पिता, माता, पुत्र, पुत्री पत्नी एवं भाई आदि भी प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली अन्य किसी फर्म में पार्टनर नहीं है अथवा प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी कम्पनी में निदेशक नहीं है।
15. निविदा के साथ रू0 100/– का स्टाम्प पेपर एवं रू 02/– का रसीदी टिकट अपलोड करना होगा।
16. समस्त प्रकार के कार्यों (विशिष्ट श्रेणी/विद्युत सम्बन्धी कार्यों) में समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव रखने वाली फर्म द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकेगा।

तकनीकी बिड हेतु अहर्ता एवं विशेष शर्ते

1. नियमानुसार आवश्यक धरोहर धनराशि।
2. सम्बन्धित कार्य की विगत् 5 वर्षों में किये गये कार्यों, जिनमें एक कार्य की लागत व्ययानुमान के 50 प्रतिशत से अधिक हो या दो कार्य जिनमें प्रत्येक की लागत व्ययानुमान के 30 प्रतिशत हो, ही मान्य होगें।
3. लिक्विड एसेट् प्रमाण–पत्र (बिड वैल्यू का 15 प्रतिशत)।
4. इन्कम टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट/ऑडिटेड बैलेंस सीट (गत् चार वर्ष में से तीन वर्ष का)।
5. गत् तीन वर्ष का टर्न ओवर प्रमाण–पत्र (बिड वैल्यू का 1.5 गुना)।
6. शपथ–पत्र टूल एण्ड प्लान्ट तथा स्टाफ।
7. वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र।
8. हैसियत प्रमाण–पत्र।

T.Kumar 25.02.19
अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)

पत्रांक : 1177/डी/ई.ई.(ई.)/2019, दिनांक : 25/02/19

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव/वित्त नियन्त्रक महोदय को सूचनार्थ।
3. प्रभारी निविदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)

Scanned by CamScanner